

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: एम०के० सिंह

शदस्य

प्रकरण क्रमांक: नैगरानी 1993-तीन/०० वैचक्र आदेश दिनांक  
19-6-06 पारित द्वारा अग्र आयुक्त, शीघ्र सभ्यः शीघ्र प्रकरण क्रमांक  
413/अपील/०4-05.

पुरुषोत्तम साहा तनय स्व. श्री हीरालाल साहा (मृतक) वारिसः

- 1- रीता पुत्री स्व. पुरुषोत्तम साहा पत्नी राजेन्द्र खण्डेलवाल  
निवासी आर.सी. लॉट अकाला तहसील मु. उमरिया
- 2- श्रीमती सीमा गुप्तो पुत्री स्व. पुरुषोत्तम साहा पत्नी राजेन्द्र गुप्त  
निवासी वल्लभगढ़ सेक्टर नं. 3 फरीदाबाद
- 3- श्रीमती आशा पुत्री स्व. पुरुषोत्तम साहा पत्नी विश्व खण्डेलवाल  
निवासी गर्जपारा दुर्ग जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)
- 4- श्रीमती मीरा पुत्री स्व. पुरुषोत्तम साहा पत्नी भाकरानन्द खण्डेलवाल  
निवासी भवानी माता मंदिर के पास दुर्ग जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)
- 5- श्रीमती तारा पुत्री स्व. पुरुषोत्तम साहा पत्नी  
निवासी रतलाम
- 6- श्रीमती मीना पुत्री स्व. पुरुषोत्तम साहा पत्नी अशोक खण्डेलवाल  
निवासी भागलपुर मण्डल नौक भीखमपुर विहार
- 7- श्रीमती शशि पुत्री स्व. पुरुषोत्तम साहा पत्नी दिनकर खण्डेलवाल  
निवासी बहोद (गुजरात)
- 8- श्रीमती दीपा पुत्री स्व. पुरुषोत्तम साहा पत्नी बसन्त गुप्त  
निवासी टीचर कालोना महू जिला इंदौर म.प्र.
- 9- श्रीमती नीतू पुत्री स्व. पुरुषोत्तम दास साहा  
पत्नी भारत भूषण खण्डेलवाल
- 10- अरुण शाहा पुत्र स्व. पुरुषोत्तम दास साहा  
निवासी जयस्तम्भ के पास उमरिया

विरुद्ध

- 1- सतीश चन्द तनय स्व. श्री हीरालाल साहा (मृतक) वारिसः --  
अ- श्रीमती छाया साहा बेवा सतीशचंद साहा  
ब- संदीप पुत्र स्व. सतीशचंद्र साहा  
स- श्रीमती शिप्रा शाहा पत्नी स्व. सतीशचंद्र साहा  
द- श्रीमती शमा पुत्री स्व. सतीशचन्द्र साहा
- 2- मोहलाल तनय स्व. श्री हीरालाल साहा (मृतक) वारिसः --  
क- विजय शाहा  
ख- अजय शाहा  
ग- संजय शाहा

M

- पुत्रगण स्व. मोहनलाल शाहा  
घ- श्रीमती भागवती देवी पत्नी स्व. मोहनलाल शाहा  
3- मानिकचन्द तनय श्री गुलाबचन्द (मृतक) वारिसान  
घ- मनीश शाहा  
छ- मयंक शाहा  
पुत्रगण स्व. मानिकचन्द  
ज- श्रीमती रमादेवी पत्नी स्व. मानिकचन्द  
समस्त निवासीगण भाभी चोक उमरिया म.प्र.  
4- अमरचन्द तनय श्री गुलाबचन्द  
निवासी उमरिया ग्राम उमरिया तहसील राधावगत  
जिला उमरिया म.प्र.

अनावेदक का पता

आवेदक को और ए अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव :  
अनावेदक क्र. 1 के वारिसों की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बलापुरकर

आवेदक

( आज्ञा दिनांक 19-06-06 को पालन )


यह निगरानी अपर आरूढ़ आरूढ़ सेवा विभाग सेवा के प्रकरण क्र. 413/अपील/04-05 में पारित आदेश दिनांक 19-06-06 के विरुद्ध म.प्र. न्यायालय संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जाएगा ) की धारा 5, 6 तथा प्रस्ताव की धारा 2 में

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश पारित नामांतरण आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अनुधिभागीय अधिकांशों के समक्ष अपील की गई जो उन्होंने दिनांक 5-3-80 को अटम पैरवी में निरस्त की । इस अपील के विरुद्ध कलेक्टर न्यायालय में एकाउन्टेबल अपील प्रस्तुत किया जा आदेश दिनांक 21-7-04 को निरस्त किया गया । इस आदेश के विरुद्ध आरूढ़ सेवा के न्यायालय में अपील पेश की गई जिसमें उनके द्वारा आदेश पारित किया जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । प्रकरण प्रत्यावर्तित होने के उपरान्त अनुधिभागीय अधिकांशों ने आदेश पारित करते हुए अपील को समय बाह्य म.प्र. आदेश दिनांक 11-8-05 द्वारा निरस्त कर दिया । इस आदेश के विरुद्ध आवेदक न अधीनस्थ न्यायालय में अपील की जो अपील आदेश द्वारा निरस्त की गई है । अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

M.

- 3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है ।
- 4- अनावेदक अधिवक्ता द्वारा उधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताने हेतु निगरानी निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है ।
- 5- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख को अवलोकन किया गया । यह प्रकरण नामांतरण का है । अपर आयुक्त द्वारा अपने अदर में यह पाया गया है कि दिनांक 10-11-78 को नामांतरण प्रारम्भ हुआ था जिसमें विरुद्ध अपील अनुपस्थिति में निरस्त हुई थी अनुपस्थिति में अपील निरस्त करने पर आवेदक का यह तर्क कि आदेश को जानकारी सनकी जाता है अपर अधिवक्ता के विधिसम्मत नहीं माना है तथा यह निष्कर्ष निकाला कि यदि जानकारी नहीं होती तो अपील किस आधार पर प्रस्तुत की गई और इतने लंबे अर्से के बाद इस तर्क का उभय-संदेहास्पद माना है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखा है । प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए यह माना जाता है कि इस प्रकरण अपर आयुक्त के अनुविभागीय अधिकारी के आदेश विधिसम्मत, उचित और न्यायिक होने से निरस्त करने योग्य हैं ।

परिणामतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है एवं यह प्रकरण निरस्त की जाती है ।

  
एम.के. सिंह )  
सदस्य  
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश  
ग्वालियर